न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 65/2025

श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र घासीलाल चौधरी ग्राम टिकरिया तहसील उनियारा जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 04.09.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 7.05.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. तहसीलदार महोदय टोंक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी यथा पटवारी, गिरदावर साहिबान को अक्टूबर 2024 से अप्रेल 2025 तक कितने कारण बताओं नोटिस जारी किऐ गऐ।
2. उक्त नोटिसों के जारी करने की दिनांक नोटिसों के जवाब प्राप्त होने की दिनांक व जिन नोटिसों के जावाब प्राप्त नही हुऐ है उनकी सूचना की प्रतिलिपि।
3. जिन कारण बताओं नोटिसों का जवाब निर्धारित समयावधि मे नही दिया उन कार्मिकों के विरूद्व किये गये कार्यवाही की सूचना की प्रतिलिपि।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक /भू.अ./ई.फाईल/स्था./ 2025/ 230 दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील टोंक से स्थानान्तरित या तहसील टोंक मे ही अन्य पटवार मण्डल पर स्थानान्तरित पटवारियों की सूचना की प्रतिलिपि, स्थानान्तरित पटवारी द्वारा नये आये पटवारी को चार्ज आदान प्रदान करने तिथि की सूचना व निर्धारित अवधि में चार्ज आदान प्रदान न करने पर की गई कार्यवाही की सूचना की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1343 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 714 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध तहसीलदार टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 703 दिनांक 30.07.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 704 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1483 दिनांक 31.07.2025, 1604 दिनांक 13.08.2025 एवं 1694 दिनांक 28.08.2025 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम

712

जिला कलेक्टर
टोंक

2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक